

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विधि एन. एच. का प्रकरण संख्या 46/2025
(GCMS: 2025/389)

अमर सिंह पुत्र श्री दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी अक्कावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. भारत सरकार जरिये रक्षा सचिव, नई दिल्ली
2. **Forward Composite Aviation Base**, स्थित लालगढ कैंट, लालगढ जाटान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी कमांडेंट लालगढ जाटान
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, राजस्व सादुलशहर



17.04.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसील सादुलशहर की चक 21 एसडीएस में एफ.सी.ए.बी. हेतु 132.825 हैक्टेयर भूमि में भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन एवं उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रार्थीगण की चक 21 एसडीएस के खाता संख्या 4/4 की 10/37 अर्थात 5.060 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है, के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत अधिक मुआवजा या प्रतिकर दिलाने एवं प्रार्थी को दिये जाने वाला मुआवजा व प्रतिकर का प्रभाजन करने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में जिला कलक्टर को प्रदत्त शक्तियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को दी गई है। इसलिए इस प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

मैंने, प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने तहसील सादुलशहर की चक 21 एसडीएस में एफ.सी.ए. बी. हेतु 132.825 हैक्टेयर भूमि में भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन एवं उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रार्थीगण की चक 21 एसडीएस के खाता संख्या 4/4 की 10/37 अर्थात 5.060 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है, के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत अधिक मुआवजा या प्रतिकर दिलाने एवं प्रार्थी को दिये जाने वाला मुआवजा व प्रतिकर का प्रभाजन करने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण की शक्तियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को होने के कारण, उनकी प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर



अमर सिंह बनाम भारत संघ एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 64 निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

64. प्राधिकरण का आदेश - (1) ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलेक्टर द्वारा उस मामले को चाहे उसका आक्षेप, यथास्थिति, भूमि के माप के प्रति, प्रतिकर की रकम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, जिसको वह संदेय है, अध्याय 5 और अध्याय 6 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अधिकारों के प्रति हो या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन के प्रति हो, प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए :

परन्तु कलेक्टर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को निर्देश करेगा:

परन्तु यह और कि जहां कलेक्टर ऐसा निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, वहां आवेदक, यथास्थिति, प्राधिकरण को उससे यह अनुरोध करते हुए आवेदन का सकेगा कि कलेक्टर को तीस दिन की अवधि के भीतर उसे निर्देश करने का निर्देश दिया जाए।

संयुक्त सचिव, राजस्व(गुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1(51)Rev-6/2014/31 dated 28.08.2015 के द्वारा सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया गया है। संयुक्त सचिव, राजस्व(गुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1(51)Rev-6/2014/31 dated 28.08.2015 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause(g) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), **the State Government hereby designate all the Sub-Divisional Officers to perform the functions of a Collector under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction.**

चूंकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 64 की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उक्त अधिसूचना अनुसार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को स्थानान्तरित किया जाता है। मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को आगामी कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। यह आदेश आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. अमित यादव)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर